

उत्तर प्रदेश सरकार

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2-1609/ग्यारह-9(2)/08-30प्र0अधि0-30-07-आदेश-(24)-2008


लखनऊ::दिनांक:: 30 मई, 2008

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2007) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, दिनांक 01 जून, 2008 से, समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-2283/ग्यारह-9(81)/91-30प्र0अध्या0-21-99-आदेश-99 दिनांक 31 अक्टूबर, 1999 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

उपर्युक्त विज्ञप्ति की अनुसूची में क्रम संख्या 18, 19 और 20 की प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी।

आज्ञा से,

(गोविन्दन नायर)
प्रमुख सचिव।